म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/वित्त/मं.शु./1456 भोपाल, दिनांक 28/05/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त)
संभाग ....

विषयः—अनुज्ञप्ति धारी व्यापारियों से नगद मंडी शुल्क जमा कराने के संबंध में।
संदर्भः—कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/बोर्ड/लेखा/18—19/839—842 दिनांक 14.01.2019 एवं पत्र क्रमांक 925 दिनांक 05.02.12019.

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा अनुज्ञप्ति धारी व्यापारियों से मंडी शुल्क की प्राप्ति आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उक्त प्रकिया में संशोधन करते हुये संदर्भित आदेशानुसार चेक के माध्यम से मंडी शुल्क प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त प्रक्रिया के संदर्भ में मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियो को मंडी समितियों में निरीक्षण हेतु भेजा गया था जिनके प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया कि अधिकांश मंडी समितियों में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से मंडी शुल्क बहुत कम मात्रा में प्राप्त किया जा रहा है अथवा चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है किन्तु कतिपय मंडी समितियों में 100 प्रतिशत नगद प्राप्त किया जा रहा है जो कि लेखा नियमो के विपरीत है तथा अधिकांश मंडी समितियो में कार्यालयीन समय समाप्त होने के बाद अनुज्ञप्ति धारी व्यापारियों द्वारा देर रात में अनुज्ञा जारी कराई जाती है तथा अनुज्ञा जारी कराते समय मंडी शुल्क चेक के माध्यम से जमा न कराते हुये नगद जमा कराते है जिससे गबन/प्रभक्षण की स्थिति निर्मित होती है। अतः परिपत्र जारी दिनांक से मंडी शुल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा जिन्स की निकासी के समय मंडी शुल्क की गणना अनुसार मंडी शुल्क की राशि अल्प है तो अनुज्ञिप्तिधारी व्यापारियों से मंडी शुल्क नगद में प्राप्त किया जावे किन्तु यदि अनुज्ञिप्तिधारी व्यापारी उक्त मंडी शुल्क की राशि का भुगतान चेक/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान करना चाहता है तो तदानुसार मंडी शुल्क का भुगतान प्राप्त किया जावे।

2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिन्स की निकासी के समय मंडी शुल्क की गणना अनुसार मंडी शुल्क की राशि रूपये 1000/— (रूपये एक हजार मात्र) से अधिक गणना में आती है तो मंडी समिति अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से मंडी शुल्क की राशि चेक के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किया जावेगा किन्तु विकल्प के रूप में/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. होगा किन्तु इसकी अधिकतम सीमा मंडी समिति सुनिश्चित करेगी।

3. उपरोक्त दोनो स्थिति के अतिरिक्त गणना में मंडी शुल्क अधिक है तब मंडी समिति अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से मंडी शुल्क

की वसूली जावेगी इस हेतु भी मंडी समितियां अपने स्तर पर तीनो विकल्पो की वसूल की जाने वाली मंडी शुल्क की सीमा तय कर प्रकिया लागू करेगी।

4. मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त चेक की स्थिति में बैंक में चेक प्रस्तुतीकरण तथा राशि प्राप्त की समय सीमा तथा इस बावत मंडी कर्मचारियों की जवाबदारी सहित निर्देश पूर्व में जारी करे गये थे उनका पालन सुनिश्चित किया जावे।

5. बडे व्यापारियो को एडवांस/अग्रिम में मंडी शुल्क की राशि जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जावे।

उपरोक्त सभी निर्देशो का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मंडीवार इस बावत् की गई व्यवस्था की रिपोर्ट दिनांक 25.06.19 तक प्रेषित की जावे।

(फैज अहमद किदवई)
सह – आयुक्त/प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल ग्रब अब
भोपाल, दिनांक 28/05/19

क्रमांक/बोर्ड/वित्त/मं.शु./1457
प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर संचालक/संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल मुख्यालय की ओर सूचनार्थ
5. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) की ओर लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियो से प्राप्त किया जाने वाला मंडी शुल्क की प्रकिया का पालन कडाई से किया जाना सुनिश्चित करे।

28/5/19

सह – आयुक्त/प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल